

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

प्राथी	विप्रार्थीगण
1. कानाराम पुत्र लाखा जाति मेगवाल निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. गंगा पत्नी विजलाराम जाति कोली निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 276/2025

प्राथी कानाराम पुत्र लाखा जाति मेगवाल निवासी सालारिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ. नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 388 के खसरा संख्या 649/365 रकबा 6-4750 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्राथी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. सेड़वा के नया खाता संख्या 388 के खसरा संख्या 649/365 रकबा 6-4750 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्राथी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्राथी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्राथी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्राथीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करें। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 23/9/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

23/9/25

पत्रावली पेश हुई। प्राथी वकील उपस्थित। प्राथी स्वयं उपस्थित।
चूंकि मूलवाद को जरिए रजिनामा विद्वे किया जा चुका है,
तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं
है। अतः इस आवेदन की कसिबाई इसी स्तर पर
समाप्त की जाती है। पत्रावली कैसल नुमार होकर
दखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम है।

कि. नि. गंगाराम
पहचान नहीं
23/9/25

